

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-6
संख्या-1906/सत्तर-6-2016-70/2015
लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-63521/2015 कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, कानपुर व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के अनुपालन में कानपुर विद्या मन्दिर महिला पी.जी. कॉलेज, कानपुर के प्रबन्धतंत्र को अपवर्जित कर जिलाधिकारी, कानपुर को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने विषयक शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1555/सत्तर-6-2015-70/2015 दिनांक 04 नवम्बर 2015 को तात्कालिक प्रभाव से निष्प्रभावी किया जाता है।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-1906(1)/सत्तर-6-2016 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
6. अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव, प्रबन्ध समिति, कानपुर विद्या मन्दिर पी.जी. कॉलेज, कानपुर।
7. प्राचार्या कानपुर विद्या मन्दिर पी.जी. कॉलेज, कानपुर।
8. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

संज्ञक
R-7
23/1/17

आज्ञा से,
अतुल कुमार मिश्र
(अतुल कुमार मिश्र)
अनु सचिव।